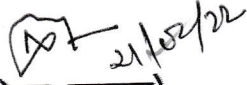
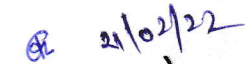


संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 03.02.2022 को जनपद बरेली में बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग, चैनेज 0.800 से 5.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 7.055 हे० संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के श्री अरविन्द कुमार, आधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि० बरेली एवं श्री समीर कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली द्वारा किया गया। जिसमें जनपद बरेली में संरक्षित वन भूमि 7.055 हे० प्रभावित हो रही है एवं 6125 वृक्षों का पातन निहित है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई दुर्लभ / संकटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की मॉग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(अरविन्द कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०
बरेली।
Executive Engineer
C.D. Building P.W.D.
Bareilly


(समीर कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बरेली की प्रभाग



Forest Range Officer
Bareilly Range
Bareilly